निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 पौष 1942 (श0)

(सं0 पटना 46) पटना, बृहस्पतिवार, 14 जनवरी 2021

ifjogu foHkkx

---

vf/klwpuk
14 tuojh 2021

सं० 06/वायु गुणवत्ता–09–11/2019–286@परि0—मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा–115 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–8182 दिनांक 07.11.2019 द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्र में 31.01.2021 तथा दानापुर नगर परिषद्, खगौल नगर परिषद् एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्रों में 31.03.2021 की मध्य रात्रि से डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तिथि को दोनों मामलों में दिनांक 30.09.2021 तक विस्तारित किया जाता है एवं

विभाग की अधिसूचना सं0–8183 दिनांक 07.11.2019 द्वारा अधिसूचित बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019 को पूर्व शर्तों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2021–22 तक विस्तारित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
lat; dqekj vxzoky]
ljdkj ds lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 46-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in